कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

mail:nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1226 / FP/UK/ROAD/23731/2017 :देहरादून:दिनांकः 10 नवम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना–किमोई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.3025 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 61 / 2018 / एफ0सी0 / 2139 दिनांक 16–01–2019।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। इस क्रम में मसूरी वन प्रभाग के द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

1. **शर्त संख्या–1** अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 10.605 हे0 ग्राम–किमोई पट्टी छैज्यूला की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 29,55,242.00 मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 10.605 हे0 ग्राम–किमोई, पट्टी छैज्यूला तहसील धनोल्टी की सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया जा चुका है, जिसके अभिलेख संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–1)** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 10.605 हे0 ग्राम–किमोई पट्टी छैज्यूला को **"संरक्षित वन"** घोषित करने हेतु पत्रांक 05/X-3-22/14(02)/2021 दिनांक 04.01.2022 द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है, जिसके अभिलेख संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**
2. **शर्त संख्या–2** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 47,56,343.00 मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की गई है।
3. **शर्त संख्या–3** के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में यदि बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने बावत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
4. **शर्त संख्या–4** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 77,11,585.00 जमा करने की ऑनलाईन चालान की रसीद की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–4)**
5. **शर्त संख्या–5** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सडक के दोनों

किनारों तथा Central Verge पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation किया जाएगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–5)**

6. **शर्त संख्या–6** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धांतिक स्वीकृति जारी हो जाने के पश्चात ऑनलाईन पार्ट–II में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना तकनीकी रूप से संभव नही है। District Profile की सूचना हार्ड प्रति में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–6)**
7. **शर्त संख्या–7** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धांतिक स्वीकृति जारी हो जाने के पश्चात ऑनलाईन पार्ट–II में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना तकनीकी रूप से संभव नही है। ऑनलाईन प्रारूप में उक्त सूचना तैयार कर हार्ड प्रति में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–7)**
8. **शर्त संख्या–7** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पर 50 प्रतिशत बांज वृक्षों का रोपण किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–8)**

अतः उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या– / FP/UK/ROAD/23731 /2017 दिनांकित।
प्रतिलिपिः–उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को उनके पत्रांक 5886/12–1 दिनांक 17.05.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

10/11/22
(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी